

मंत्री आनंद के खिलाफ ईडी
की छपेमारी की प्रक्रिया पूरी

गाजा में शांति का
वैश्विक आह्वान

एथिक्स कमेटी ने मेरा
अपमान किया : माहुआ

आस्ट्रेलिया के खिलाफ पलटवार
करना चाहेगी इंग्लैंड की टीम



नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायानियर

www.dailypioneer.com



इटली, यूरोपीय संघ की
हिंद-प्रशांत में व्यापक रुचि
क्षेत्र में स्थिरता लाएगा
विदेश-10

दिल्ली की हवा में घुला और जहर

● इस मौसम में पहली बार पूरी राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंची, नोडा, गणियाबाद और दिल्ली से साते हारियाणा के शहरों में भी हालत खटका

● वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अभी आपातकालीन उपायों को लागू करना टाल दिया है, घटणा तीन के तहत उसने प्रतिबंध एक दिन पहले लागू किए हैं, लिहाज अंती वह दियति पर नजर रखेगा।

राजेश कुमार। नई दिल्ली



नई दिल्ली में प्रदूषण की घनी धुंध में गालक लगाए गए।

फोटो: रंग डिजिटी

इस सीजन में पहली बार शुक्रवार सुबह दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'खतरनाक' श्रेणी में पहुंच गई।

दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 475 है, जो पिछले साल (450) और 2022 (471) से ज्यादा है। यह एक ऐसा चर्चा है कि जब एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों, वाणिज्यिक चार

स्थिति पर नजर रखेंगे। सीएक्यूएम ने

बुधस्तिवार को प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण तीन को लागू करते हुए क्षेत्र में गैर-जरूरी नियंत्रण कार्य, और लागू करना अनिवार्य है, लेकिन

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसे टाल दिया है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के

आपातकालीन उपायों को शुरू करना पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।


समस्या की गंभीरता को देखते हुए उपराज्यपाल ने पर्यावरण विभाग को बच्चों और बुजु़गों के लिए अतिरिक्त देखभाल करने और जहां तक ?संभव हो घर के अंदर रहने की सलाह दी और कहा कि सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं बाल्कि पूरा उत्तर भारत प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है जबकि भाजपा जागरा राष्ट्रीय राजधानी को गैर चैंबर में बल्ने के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है।

एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में

सक्षमता ने लोगों से घर के अंदर और खुद को और विशेष रूप से बच्चों और बुजु़गों को खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियों में न रहने का अपील की। साथ ही

की अपील की। उपराज्यपाल ने योगमाया मंदिर और खाजा निजमुद्दीन औलिया के उर्द्ध में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई क्योंकि आपात 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा कांगोलोस में उद्घाटन किए गए भारत के पहले स्मार्ग टार्फ को ऐसे समय में बढ़ गया है जब राष्ट्रीय राजधानी और इसके पड़ोसी क्षेत्र 'गंभीर' वायु प्रदूषण से जूँ रहे हैं।

दाव का ज़रूर अपने चारों ओर 1 किमी के दौरान में हवा को शुद्ध करता है। इस बीच, आप और भाजपा के बीच वाक्युद्ध छिड़ गया और समस्या का समाधान करने में विफल रहने के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने केंद्रीय समविधान भौमिक यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 'सक्रिय' होने की सलाह दी और कहा कि सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं बाल्कि पूरा उत्तर भारत प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है जबकि भाजपा जागरा राष्ट्रीय राजधानी को गैर चैंबर में बल्ने के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ऐसे समय में 'राजनीतिक पर्वन' में शामिल होने का अरोप। (शेष पेज 9)



नई दिल्ली में शुक्रवार को लर्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करने वाले गंडपम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।



लखनऊ में शुक्रवार को आईसीसी विश्व कप क्रिकेट ग्रुप बी ने अफगानिस्तान के बैटर हसनतुल्ला शाहिदी और अंजनतुल्ला उमरजह्ज जीत का जीतन नहाते हुए।

अफगानिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीद कायम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

इकाना में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को हराकर सेमीफाइनल को उम्मीद बरकरार रखी। जायं से खेल दोनों टीमों ने दूसरों को खेल दोनों पार अफगान टीम ने बाजी मारी और विश्व कप के लाए मुकाबले में डच टीम को सात विकेट से हरा दिया।

मोहम्मद नवी (28 से तीन विकेट) की अग्रवाली विश्व कप में अपने को शानदार गेंदबाजी के बाद दृश्यमान शाहिदी (नावाद 56) और रहमत शाह (52) की अर्धशतकीय परियों से अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को सात रामिया किया।

अफगानिस्तान की सात मैचों में यह चौथी जीत है और टीम अंत तारिका

में आठ अंक के साथ पांचवें स्थान पर आ गई है। टीम को आज दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की मजबूत चौंती से निपता है। नीदरलैंड को यह सात मैचों में पांचवीं हार है। अफगानिस्तान ने नीदरलैंड की पारी में 46.3 ओवर में 179 से पर आउट हो गई। एंजेलब्रेक ने एक छोटे से विकेटों के पतन के बाद दूसरे छोटे से अकानानिस्तान के स्पिनरों का डट कर सामना किया जिससे टीम 47वें ओवर के बाद वलेबाजी करने में सफल रही।

उन्होंने अपनी पारी में छह चौंके लगाए। अफगानिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैच नवी ने तीन टीम ने नूट्र अहमद ने एक ओवर में दो और मुजाब उर रहमत ने एक विकेट लिया।

नीदरलैंड के चार बल्लेबाज से आउट हुए। अफगानिस्तान ने सार्वजनिक के साथ लक्ष्य का पांचवा करना शुरू किया लेकिन छठे ओवर में वैन बीके ने रहमतुल्ला गुरुबाज की 10 से कपारी पारी को खत्त किया। शानदार लक्ष्य में बल रहे रहमत शाह ने इप नीदरलैंड के खिलाफ 10वें ओवर में दो तीन चौंके लगाए। शाहिदी ने इन्हें आउट कर लाने के बाद नेट से रेट में सुधार करने के लिए तेजी से बल्लेबाजी की। दोनों ने 28वें ओवर में वैन मौकेरेन के खिलाफ एक-एक चौंका लगाकर 11 से बनाकर टीम को 150 से पार पहुंचाया।

शाहिदी ने 31वें ओवर में दो से जीत दिया। इसमें पहले शुरूआती पल्ले और दूसरी ओवर में वैस्ती बरसी (एक से) का विकेट गंवाने के बाद मैक्स ओवर (40 गेंद में 42 से) और कोलिन एक्सप्रेस (35

- नीदरलैंड को सात विकेट से दी क्राईटी शिक्षण
- अंकतालिका में पांचवे स्थान पर पहुंचा

किया। अफगानिस्तान के लिए कपास शाहिदी ने 64 गेंद में छह चौंके की डाक ताक दिया। अंकतालिका के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 गेंद में 74 से की साझेदारी की। रहमत ने 54 गेंद की पारी में आठ चौंके लगाए। अंजनतुल्ला उमरजह्ज ने एक बार प्रिय बल्ले से प्रथमावास करते हुए 28 गेंद में तीन चौंके की मरमद से 31 से 30 गेंद की पारी खेली और शाहिदी के साथ चौथी विकेट के लिए 53 गेंद में 52 से की अंटट नीदरलैंड के बाबत शाहिदी ने एक बार खिलाफ 10वें ओवर में तीन चौंके जड़े लेकिन अगले ओवर में वैन डॉम ने गेंद की गेंद पर क्रीज पर बैठ दिया। शाहिदी ने इसमें छह चौंके लगाए। शाहिदी ने 31वें ओवर में दो से जीत दिया। इसमें पहले शुरूआती पल्ले और दूसरी ओवर में वैस्ती बरसी (एक से) का विकेट गंवाने के बाद मैक्स ओवर (40 गेंद में 42 से) और कोलिन एक्सप्रेस (35




यह दिव्य है, अमूल्य है
विश्व का सर्वश्रेष्ठ
पतंजलि च्यवनप्राश व पतंजलि हनी
जो बढ़ाये शक्ति, स्फूर्ति और इम्मूनिटी।



पतंजलि हनी शत-प्रतिशत खरा उत्तरा है प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर।

पतंजलि च्यवनप्राश में मौजूद 5100 से अधिक एक्टिव कंपांड्यूइंस सैकड़ों रोगों को मिटाते हैं, पूरे परिवार को आयुष्मान बनाते हैं।



चुनाव बांड फैसले की प्रतीक्षा

चुनाव बांडों की 'अपारदर्शिता' पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला गेमचेंजर हो सकता है। लेकिन ऐसी भी लोकतंत्र में चुनावी पारदर्शिता और जवाबदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीतिक फैंडिंग का एक आयम-चुनावी बांड गोपनीयता का शिकार है। उनकी 'अपारदर्शिता' प्रकृति पर अब सर्वोच्च न्यायालय गैर कर रहा है। भारत में 2017 में चुनाव बांडों की शुरुआत ने रेन्डर मोटी स्टर्कर ने की थी। इसके पीछे घोषणा तेज़ उद्यम 'राजनीतिक फैंडिंग में सच्चिता एवं पारदर्शिता' को बढ़ावा देना था। इसमें दानदाता अपनी पहचान छापे रख कर फंड का योगान कर सकते थे, हालांकि इसका पता लगाया जा सकता था। बांड अधिकृत बैंकों-एक्सीवीआर से खरीद कर किसी खास राजनीतिक पार्टी को दिए जा सकते हैं। लेकिन 'पारदर्शिता की कमी' के कारण इस व्यवस्था की आलोचना हुई। अप्रैल, 2019 में असोन्सियेन फार डेमोक्रेटिक रिपार्ट-एडीआर एवं माका ने योजना की पारदर्शिता को चुनावी देते हुए सर्वोच्च न्यायालय इन पर विचार कर रहा है। मुख्य चिन्हों ने कि बांड दानदाता की पहचान छापे रखते हैं जिससे इसकी सार्वजनिक समीक्षा का रास्ता नहीं बचता है। इस अपारदर्शिता से दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। सरकार चुनाव बांडों का इस तक से बचाव करती है कि इससे दानदाता की 'निजता' सुरक्षित होती है जिससे अपने राजनीतिक फैंडिंग का पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। इसमें कहा गया है कि योजना में दानदाताओं के अधिकार तथा पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाया गया है क्योंकि पार्टीयों को फैंडिंग के विवरणों का साझा निवाचन आयोग से करना होता है। लेकिन याचिकार्ताओं का तक है कि चुनाव बांड पारदर्शिता सिद्धान्त का उल्लंघन करते हैं क्योंकि इससे 'अपारदर्शिता फैंडिंगिंग' होती है जो संभवतः अवैध-विशेष फैंडिंग का रास्ता खोल रखते हुए प्रशान्त भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 2021-22 में चुनाव बांड के माध्यम से प्राप्त दान में भाजपा को 5,271 करोड़ तथा कांग्रेस को 952 करोड़ रुपये मिले। वर्तमान मामले का राजनीतिक फैंडिंग के व्यष्टि तथा चुनावी पारदर्शिता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यदि अदालत योजना को इसी तरह स्वीकार कर लेती है तो इससे राजनीतिक पार्टीयों को गोपनीय तरीके से असीमित फैंडिंग प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके उल्टे यदि योजना को लोकतांत्रिक सिद्धान्त का उल्लंघन पाया गया तो इससे सरकार को एसे सुधार करने पर मन्त्री होना पड़ेगा जो राजनीतिक फैंडिंगमें ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करें। देश की जनता की यह जनने का अधिकार है कि पार्टीयों को पैसा कौन देता है क्योंकि वह संवेदनशील तरीके से उच्च पदों पर भूगतार के मुद्दे से जुड़ा है। अमीर व्यक्ति या निगम भारी मात्रा में चुनाव बांड खरीद कर उनको किसी खास पार्टी को इस शर्त पर दान दें सकते हैं कि वह सत्ता में आने पर उनका पक्ष लेने तथा ऐसी नीतियों बनाए या उन्में परिवर्तन करें जिनसे दानदाता के लिए जनने को लाभ हो। इसके अलावा सत्तारूढ़ पार्टी परोक्ष रूप से व्यक्तियों या नियमों से दान मांग सकती है और इसके बले में जिनसे प्रतिरूपितों के बजाय अनुबंध देने में उनका पक्ष लिया जा सकता है। हालांकि, इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा रहेगी, लेकिन इस तथ्य से इसका नहीं किया जा सकता है कि 'विजेतेस सुगमता' जैसी अधिक नीतियों को बढ़ावा दाले दल को उसके प्रतिरूपितों की तुलना में कांपेरेट से अधिक दान मिलेगा।



भाजपा को 5,271 करोड़ तथा कांग्रेस को 952 करोड़ रुपये मिले। वर्तमान मामले का राजनीतिक फैंडिंग के व्यष्टि तथा चुनावी पारदर्शिता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यदि अदालत योजना को इसी तरह स्वीकार कर लेती है तो इससे राजनीतिक पार्टीयों को गोपनीय तरीके से असीमित फैंडिंग प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके उल्टे यदि योजना को लोकतांत्रिक सिद्धान्त का उल्लंघन करते हैं क्योंकि इससे 'अपारदर्शिता फैंडिंगिंग' होती है जो संभवतः अवैध-विशेष फैंडिंग का रास्ता खोल रखते हुए प्रशान्त भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 2021-22 में चुनाव बांड के माध्यम से प्राप्त दान में भाजपा को 5,271 करोड़ तथा कांग्रेस को 952 करोड़ रुपये मिले। वर्तमान मामले का राजनीतिक फैंडिंग के व्यष्टि तथा चुनावी पारदर्शिता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यदि अदालत योजना को इसी तरह स्वीकार कर लेती है तो इससे सरकार को एसे सुधार करने पर मन्त्री होना पड़ेगा जो राजनीतिक फैंडिंगमें ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करें। देश की जनता की यह जनने का अधिकार है कि पार्टीयों को पैसा कौन देता है क्योंकि वह संवेदनशील तरीके से उच्च पदों पर भूगतार के मुद्दे से जुड़ा है। अमीर व्यक्ति या निगम भारी मात्रा में चुनाव बांड खरीद कर उनको किसी खास पार्टी को इस शर्त पर दान दें सकते हैं कि वह सत्ता में आने पर उनका पक्ष लेने तथा ऐसी नीतियों बनाए या उन्में परिवर्तन करें जिनसे दानदाता के लिए जनने को लाभ हो। इसके अलावा सत्तारूढ़ पार्टी परोक्ष रूप से व्यक्तियों या नियमों से दान मांग सकती है और इसके बले में जिनसे प्रतिरूपितों के बजाय अनुबंध देने में उनका पक्ष लिया जा सकता है। हालांकि, इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा रहेगी, लेकिन इस तथ्य से इसका नहीं किया जा सकता है कि 'विजेतेस सुगमता' जैसी अधिक नीतियों को बढ़ावा दाले दल को उसके प्रतिरूपितों की तुलना में कांपेरेट से अधिक दान मिलेगा।

गजा में शांति का वैश्विक आह्वान

न्याय एवं सहानुभूति के सिद्धान्तों पर आधारित राजनय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य बिंदु होनी चाहिए। सारी दुनिया को गजा में शांति का आह्वान करना चाहिए। महात्मा गांधी के सिद्धान्त इस संबंध में दिशा निर्देशक हैं।

राजदीप पाठक
(लेखक, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति से संबद्ध हैं)

आज दुनिया के समक्ष उपस्थित चुनौतीयों में एक चुनौती हिंसा के सभी रूपों का परित्याग कर शांति की संस्कृति स्थापित करना है। यह शांति केवल युद्धों की अनुपश्चिती से आगे जाकर न्याय एवं सहानुभूति के साथ जाने का प्रयत्न करता, अधिकार, मानवाधिकारों तथा विवित काउंसिल राजनीतिक विवरणों के उत्सव मनाने पर जोर देती है। शांति प्राप्त करने की महात्मा गांधी की रणनीति शांतिगूर्ह, गैर-परंपरागत व अहिंसक रणनीति पर जोर देती है। यह चुनाव बांड पारदर्शिता के उन्नतों देखे हुए एवं पारदर्शिता के उन्नतों के बीच नहीं है। लेकिन याचिकार्ताओं का अधिकार के बावजूद यह चुनाव बांड पारदर्शिता से दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। इससे दानदाता अपनी पहचान छापे रख कर फंड का योगान कर सकते हैं। लेकिन 'पारदर्शिता की कमी' के कारण इस व्यवस्था की आलोचना हुई। अप्रैल, 2019 में असोन्सियेन फार डेमोक्रेटिक रिपार्ट-एडीआर एवं माका ने योजना की पारदर्शिता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय गैर कर रहा है। मुख्य चिन्हों ने कि बांड दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। सरकार चुनाव बांडों का इस तक से बचाव करती है कि इससे दानदाता की 'निजता' सुरक्षित होती है। सरकार चुनाव बांडों का इस तक से बचाव करती है कि बांड दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। इससे दानदाता की 'निजता' सुरक्षित होती है। लेकिन याचिकार्ताओं का अधिकार के बावजूद यह चुनाव बांड पारदर्शिता से दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। सरकार चुनाव बांडों का इस तक से बचाव करती है कि बांड दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। लेकिन याचिकार्ताओं का अधिकार के बावजूद यह चुनाव बांड पारदर्शिता से दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। सरकार चुनाव बांडों का इस तक से बचाव करती है कि बांड दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। लेकिन याचिकार्ताओं का अधिकार के बावजूद यह चुनाव बांड पारदर्शिता से दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। सरकार चुनाव बांडों का इस तक से बचाव करती है कि बांड दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। लेकिन याचिकार्ताओं का अधिकार के बावजूद यह चुनाव बांड पारदर्शिता से दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। सरकार चुनाव बांडों का इस तक से बचाव करती है कि बांड दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। लेकिन याचिकार्ताओं का अधिकार के बावजूद यह चुनाव बांड पारदर्शिता से दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचालित करने वाले हितों के प्रति संदेह पैदा होता है। सरकार चुनाव बांडों का इस तक से बचाव करती है कि बांड दानदाता की पहचान छापे रखता था। इसमें दानदाता की पहचान तथा निर्णय को संचाल

